अपील संख्या : 123 / 2024 एल.आर.एक्ट
अनवानः मनफुल बनाम मघानाथ वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने प्राथमिक कानूनी आपत्ति दिनांक 22.10.2024 अंतर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर अवगत कराया कि तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 18.10.2019 के द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता खुलवाने का आदेश पारित किया गया था। तहसीलदार सूरतगढ़ के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत जिला कलक्टर को लाई होती थी किन्तु अपीलांट ने गलत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम लगाकर प्रथम अपील पेश की। उक्त प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 09.09.2024 को खारिज कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरूद्ध धारा 230 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश होगी। उक्त प्रकरण में संभागीय आयुक्त के समक्ष धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम के तहत द्वितीय अपील का प्रावधान ही नहीं है। उक्त अनुवानी अपील में इस न्यायालय में किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं हो सकती। अतः प्राथमिक कानूनी आपत्ति पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट इस न्यायालय में मेंटेनेबल नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी कानूनी आपत्ति के संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दिया हैं :– • आर.आर.डी. 2011 पेज सं. 484 • आर.आर.डी. 2012 पेज सं. 383 • आर.आर.डी. 1993 पेज सं. 797 • आर.आर.डी. 2011 पेज सं. 484 अभिभाषक अपीलांट ने जवाब प्राथमिक कानूनी दिनांक 22.10.2024 पेश कर अवगत कराया कि तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 18.10.2019 का रास्ता खुलवाने का जो आदेश पारित किया है वह गलत है। उक्त आदेश मंजूरशुदा रास्ता खुलवाने का नहीं है बल्कि बिना मंजूरशुदा रास्ता खुलवाने का है, जिसका क्षेत्राधिकार तहसीलदार को नहीं है। मंजूरशुदा रास्ता खुलवाने का क्षेत्राधिकार 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत है। तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ को अपील सही की गई थी, जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष कोई आपति नहीं की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 18.10.2019 क्षेत्राधिकार बिन्दु पर निरस्त नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 75 भू–राजस्व अधि. के तहत अपील सुनकर निर्णय पारित किया हैं। राजस्थान सरकार के रेवेन्यू ग्रुप–6 के नोटिफिकेशन दिनांक 17.10.2019 अनुसार ऐसे आदेश की द्वितीय अपील सुनने के अधिकार संभागीय आयुक्त को दिये गये है। इसलिए धारा 76 के अंतर्गत अपील	

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। आदेश जैर अपील की निगरानी राजस्व मण्डल में नहीं हो सकती। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट का धारा 151 सीपीसी के तहत पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 22.10.2024 निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दिया हैं :–

- आर.आर.डी. 2002 पेज सं. 541
- आर.आर.डी. 1977 पेज सं. 278
- आर.आर.डी. 1990 पेज सं. 587

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांत एवं उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया। तहसीलदार सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 18.10.2019 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अंतर्गत पारित किया गया हैं। तहसीलदार सूरतगढ़ के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत जिला कलक्टर को लाई होती थी किन्तु अपीलांट ने गलत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम लगाकर प्रथम अपील पेश की। उक्त प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 09.09.2024 को खारिज कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरूद्ध धारा 230 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश होगी। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत कानूनी आपत्ति दिनांक 22.10.2024 अंतर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार की जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपील अपीलांट निर्णीत शुमार होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर